

फर्द एहकाम  
(नियम 133)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
15/11/78	<p>- अमान शपथ पत्र पर प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह करना जाहा गया वादीनी जिरह शपथ पत्र पर कोई कथन नहीं किया गया व न्यायालय परिसर से बाहर चली गई, पत्रावली पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया। वादीनी जज के वाद में कोई कार्यवाही नहीं कराना चाहता प्रतीत होता है। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर वादीनी/वादीगण को तीन बार आवाजे लगावाई गई; वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वाद वादी खरीज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

*(Signature)*